कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची।

स्वीकृत्यादेश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांके** के **पत्रांक कैम्प राँची दिनांक 04/07/2009** के आधार पर कुल **23** योजनाओं में योजनावार मानक प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोड	पंचायत	गाँव	योजना	खाता	प्लॉट	रकबा	प्राक्कलित राशि (मानक प्राक्कलन)			मानव दिवस
							कुल	मजदूरी	सामग्री	
0910010049	खंटगा	पेरतोल	बाबुराम महतो के घर से पखनाटोला होते हुए श्मशान घाट तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण 1.5 कि0मी0				3.644	2.259	1.385	2455
0910010054	डुमरदगा	सुगनू	ढाप से श्मशान घाट तक मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण 3.5 कि0मी0				8.502	5.271	3.231	5729
0910010055	डुमरदगा	सुगनू	खुडरा टोला से कादी टोला तक मोरमीकरण 3.5 कि0मी0				8.502	5.271	3.231	5729
0910010061	बाढु	चामा	चन्दरू महली के घर से परनु उरावं के घर फुटकल पेड होते हुए हाबील टोप्पो के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण 1.5 कि0मी0				3.644	2.259	1.385	2455
0910010068	बाढु	पतांगाई	अखंडा से भण्डार तालाब होते हुए झुमार नदी पुल तक मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण 2.5 कि0मी0				6.073	3.765	2.308	4092
0910010003	राड़हा	मदनपुर	महाबीर स्थान रघुनाथ के घर होते हुए जोरदाग तके मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण कार्य 3.45 कि.मी.				8.380	5.196	3.184	5648
0910010022	उलातु	सोसो	जिरकु उरांव के घर से मसना होते हुए सरना स्थल एवं मनचीरा पथ पर मिट्टीमोरम पथ निर्माण 1.5 कि0मी0				3.644	2.259	1.385	2455

कोड	पंचायत	गाँव	योजना	खाता	प्लॉट	रकबा	प्राक्कलित राशि (मानक प्राक्कलन)			मानव दिवस
							कुल	मजदूरी	सामग्री	
0910010089	उपरकोनकी	मुरेठा	रोगफेकवा से मंझलाटोली होते हुए चाहापतरा तक मिट्टी मोरम1 तीन कि0मी0				7.287	4.518	2.769	4911
0910010108	मालश्रृंग	मालश्रृंग	चरका टुंगरी से रूगड़ी टोंगरी तक मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण				2.429	1.506	0.923	1637
0910010109	मालश्रृंग	मालश्रृंग	आं0 बाडी से गेधुवा टोंगरी के किनारे से काला रोड तक मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण				2.429	1.506	0.923	1637
0910010140	कोकदोरो	कोकदोरो	बाला दोन कोना पुल से चुन्दरूटोला तक मिट्टी मोरम 1 पथ निर्माण				2.429	1.506	0.923	1637
0910010149	कोकदोरो	चेटर	पुराना खलिहान से बाहा उरांव के घर होते हुए बगिचा तक मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण 2 कि0मी0				4.858	3.012	1.846	3274
0910010152	बोड़ेया	संग्रामपुर	झीरगा मुण्डा के घर से लेकर स्वा0 केन्द्र तक 1.5 कि0मी0 मिट्टी मोरम पथ				3.644	2.259	1.385	2455
0910010167	सिमलिया	सिमलिया	पझरा डोमा से लेकर महावीर के घर हाते हुए स्कूल तक 3000 फीट मूरमी करण 1 कि0मी0				2.429	1.506	0.923	1637
0910010201	केदल	हुम्बई	लाधू मुण्डा के घर से राजू मुण्डा के घर हाते हुए पत्थर मिट्टी मुरम रोड 1400'				1.044	0.647	0.397	703
0910010230	फुटकलटोली	तिलता	बेलो उरांव के घर के पास से अखड़ा होते हुए महावीर स्थल तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण				2.429	1.506	0.923	1637
0910010234	उरूगुटू	बगदा	बगदा प्रा0 वि0 से श्मशान घाट तक				3.644	2.259	1.385	2455

कोड	पंचायत	गाँव	योजना	खाता	प्लॉट	रकबा	प्राक्कलित राशि (मानक प्राक्कलन)			मानव दिवस
							कुल	मजदूरी	सामग्री	
			मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण 1.5 कि0मी0							
0910010243	उरूगुटू	बेंती	भेलवा छापर में आर0ई0ओ0 पथ तक मिट्टी मोरम1 पथ निर्माण 2 कि0मी0				4.858	3.012	1.846	3274
0910010244	उरूगुटू	उरूगुटू	शिक्षिका आवास से लेकर गुडगुड चूंवा तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण 6 कि0मी0				14.574	9.036	5.538	9822
0910010245	उरूगुटू	बेंती	दीवाकर पाहन के घर से झिरगा नाथ महतो के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण 2 कि0मी0				4.858	3.012	1.846	3274
0910010250	चुट्टू	पतरातु	बन्धन मुण्डा के घर के पास से सचिन मुण्डा के घर के पास मुरम मिट्टी पथ निर्माण 1.5 कि0मी0				3.644	2.259	1.385	2455
0910010268	काँके द0	चुड़ी टोला	जाबेद बाकर के घर से मसजिद तक मिट्टी मोरम 1000फीट तक				0.729	0.452	0.277	491
0910010279	बाढु	नवाडीह	कोल्हा उरांव के बगीचा टांड के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	82	118	1.03	2.318	1.431	0.887	1555
			कुल योग				105.992	65.707	40.285	71417

कार्यारम्भ से पूर्व शर्तें:

1. योजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि का सत्यापन अंचल पदाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. भूधारी से यह उदघोषणा प्राप्त होना चाहिए कि वह अपनी भूमि जिस प्रयोजन हेतू दान किया है उसमें भविष्य में भी उन्हें आपत्ति नहीं होगी।
3. योजना का कार्य जॉब डिमान्ड के आधार पर ही प्रारम्भ किया जाएगा।
4. योजना स्वीकृति की तिथि से तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाएगी।

कार्यारम्भ से पूर्व निदेश:

1. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व योजना का भूमि संबंधी विवरण यथा खााता, प्लॉट, रकबा एवं भूमि का स्वामित्व अभिलेख में संलग्न करना अनिर्वाय है।

2. कार्यम्भ से पूर्व प्रत्येक योजना स्थल के वर्त्तमान स्थिति का विडियो ग्राफी / फोटोग्राफी करना तथा विवरणी अभिलेख में दर्ज / संलग्न करना अनिर्वाय होगा।

3. यदि किसी योजना में वन क्षेत्र की भूमि सन्निहित हो, तो दक्षिणी छोटानागपुर वन प्रमण्डल, राँची / संबंधित वन प्रमण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही कार्यम्भ करें।

योजना कार्यान्वयन हेतु निदेश

पारदर्शिता संबंधी निदेशः

1. योजना प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल पर एक सीमेंटेड बोर्ड बनाकर राँची जिला का लोगो अंकित करते हुए निम्नांकित विवरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए:-

(i)	योजना का नाम	(ii)	योजना का नाम एवं आवश्यक विवरण
(iii)	योजना का प्राक्कलित राशि	(iv)	कार्यान्वयन एर्जेसी का नाम
(v)	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि	(vi)	योजना में कार्य करने की न्यनतम मजदूरी दर
(vii)	प्रभारी सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता का नाम	(viii)	अन्य सूचना

2. योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद सं. 196/2001 मामले में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
3. कार्य स्थल पर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करना क्रियान्वयन निकाय का दायित्व होगा। चिकित्सकीय सहायता, पीने के पानी, छाया और अगर छः साल से कम उम्र के 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो बालवाड़ी की व्यवस्था क्रियान्वयन निकाय को करनी होगी।
4. मजदूरों को सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन पर साप्ताहिक भुगतान किया जाए। यदि वेतन का भुगतान बैंक / डाकखानों के जरिए किया जा रहा हो तो इस आशय का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि किस मजदूर को कितना वेतन अदा किया गया है।
5. कार्यस्थल पर मस्टर रोल की मौजूदगी पर ग्राम पंचायत नजर रखेगी।
6. कार्यस्थल पर मस्टर रोल हर वक्त उपलब्ध रहे ताकि लोग जब चाहें उसकी जाँच कर सकें। मस्टर रोल की एक पगति सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में रखी / भेजी जाएगी।
7. ऐसे किसी भी मस्टर रोल को अनाधिकृत और गैरकानूनी माना जाएगा, जिसे कार्यक्रम अधिकारी काय्रलय द्वारा जारी नहीं किया गया है।
8. योजनाओं का कार्यानवयन ग्राम सभा की सहमति या बहुमत के आधार पर उस ग्राम की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ही कराया जाएगा। ग्रेडेशन प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह को प्रधानता दी जाएगी, परंतु यदि पूर्व से कार्यरत ग्रेडेशन प्राप्त समूह का कार्य संतोषजनक न हो, तो अन्य ग्रेडेशन प्राप्त समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त दोनों के अभाव में अन्य महिला स्वयं सहायता समूह का चयन किया जा सकता है।

9. प्रत्येक ग्राम में लाभुक समिति द्वारा संपादित कराये जाने वाले योजना के पर्यवेक्षण व अनुश्रवण हेतु योजनावार एक सात सदस्यीय निगरानी व अनुश्रवण समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम तीन सदस्यों का अनुसूचित जनजाति वर्ग व कम से कम दो सदस्यों का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्यग है। उन सात सदस्यों में से कम से कम चार सदस्यों का महिला होना आवश्यक है। इन चार महिलाओं में से एक साक्षर / शिक्षित महिला समिति की संयोजिका होगी। निगरानी व अनुश्रवण समिति का कोई भी सदस्य योजन कार्यान्वियन हेतु चयनित महिला स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं होगा या होगी। साथ ही निगरानी व अनुश्रवण समिति के सभी सदस्यों का रोजगार गारंटी कार्ड धारी (job card holder) होना अनिवार्य है।
10. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दीर्घकालिन योजना (Perspective Plan) में शामिल योजनाओ में से ही योजनाओं का चयन किया जायगा तथा नियमानुसार एक लाख रू. तक के योजनाओ की तकनीकी स्वीकृति स्थनिय स्तर पर तथाएक लाख रू. से अधिक राशि के योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हेतु पूर्ण अभिलेख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रॉची के कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक है। योजना का जन प्राक्कलन (People's Estimate) आवश्यक होगा। सभी श्रमिकों का भुगतान क्षेत्र में अवस्थित डाकघरों / बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत बचत खाता खोलकर किया जायगा तथा संबंधित डाकघर / बैंक प्रभारीयों के माध्यम से सभी संबंधित मजदूरों का बीमा कराना भी आवश्यक होगा।
11. प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए एक स्थनीय चौकसी एवं निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें स्थानीय आबादी या गॉव के लोग को लिया जायेगा जहॉ संबंधित परियोजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा करेगी। समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले।
12. लागू किये जा रहे काम के व्यौरे, समयावधि तथा गुणवत्ता मानको के बारे में इस समिति को बताना कियान्वयन निकाय का दायित्व होगा। परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ इस समिति की अंतिम रिर्पोट भी नथी की जायेगी और उसे पंचायत की अगली ग्राम सभा में पेश किया जायेगा।
13. कार्यस्थल पर स्वीकृति / कार्य आदेश की एक प्रति जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।
14. कार्यस्थल पर दैनिक सामग्री रजिस्टर होनी चाहिए।
15. मजदुरों के लिए तय वेतन की दर क्या है। साथ ही काम के विविध आयाम और बाकी जरूरी जानकारियॉं भी दी गई हो।
16. यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो शिकायत निपटारा व्यवस्था के अधिनियम में तय मानको के हिसाब से उसपर सात दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
17. कार्य सम्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही किया जायेगा और किसी भी स्थिति में मार्गदर्शिका से इतर कार्यवाही स्वीकार नहीं की जायेगी।

<u>तकनीकी एवं अन्य निर्देशः-</u>

1. कच्चे कामों में सेक्सन मापी के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. योजनावार विगत 5 (पॉंच) वर्षो में किसी भी सरकारी योजना से हुये कार्य की विवरणी अभिलेख पर दर्ज करने के पश्चात हीं कार्याम्भ किया जाय। इस संबंध में यदि किसी योजना में वहीं कार्य पुनः स्वीकृत हो गया हो, जो पूर्व में भी कराया गया था, तो इसकी सूचना

स्वीकृत्यादेश प्राप्ति के 5 (पॉच) दिनों के अन्दर अभिकरण कार्यालय को दी जाय, ताकि योजना को अविलम्ब रद्द किया जा सके।

3. योजनावार मापी पुस्त / बिल पर लीड सत्यापित करते हुए सहायक अभियंता द्वारा प्रामण-पत्र दर्ज किया जायेगा, जिसके अनुरूप ही ढुलाई मद का व्यय देय होगा।

4. प्रत्येक योजना के लिये मास्टर रौल का संधारण अलग-अलग किया जायेगा। जिसमें मजदूरी भुगतान का पूर्ण व्योरा अंकित होगा। मास्टर रौल में अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला एवं अन्य जिन्हें मजदूरी पर नियोजन किया जायेगा, उनकी संख्या एवं उनके संबंध में पूर्ण व्योरा अंकित होगा।

5. योजना स्थल पर साईट बुक होगा। जिस पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा, उनकी निरीक्षण टिप्पणी साईट बुक में अंकित की जायेगी। योजनावार अलग-अलग मापी पुस्त निर्गत किया जायेगा तथा योजना अभिलेख के साथ संधारित किया जायेगा। इसमें पृष्ट प्रमाणित रहेगा। प्रतिदिन कराये गये कार्यो की मापी का उल्लेख कनीय अभियंताओं द्वारा मापी पुस्त में किया जायेगा। यदि मापी पुस्त योजना अभिलेख से अलग किया जाता है, तो इसका उल्लेख योजना अभिलेख के उपान्त (मार्जिन) में किया जायेगा। जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि वह मापी अभिलेख से किस तिथि को अलग किया गया है। कनीय अभियंता की मापी पुस्त की सप्ताहिक जॉच सहायक अभियंता द्वारा निश्चित रूप से किया जायेगा एवं कार्यपालक अभियंता इसकी जॉच प्रत्येक 15 दिन पर निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगें।

6. योजना के प्रारम्भ एवं समापन के बीच विभिन्न स्तरों पर किये गये कार्यो का फोटोग्राफ संधारित किया जाना अनिवार्य है। योजना के स्थल के वर्त्तमान स्थिति का फोटोग्राफी भी अभिलेख में संधारित किया जाय।

7. योजनाओं में मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी समय-समय पर मानक गुणवत्ता के साथ-साथ योजना में मास्टर रौल की जॉच कर यद सुनिश्चित करेंगें कि योजनाओं का मास्टर रौल सही रूप से संधारित किया जा रहा है एवं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि फर्जी मास्टर रौल का संधारण नहीं किया जा रहा है। साथ ही तैयार मास्टर रौल योजना हेतु गठित निगरानी समिति द्वारा सत्यापित किया जा रहा है या नहीं इस पर नजर रखेंगें।

8. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त समय-समय पर योजना कार्यान्वियन की जॉच करेंगें।

9. योजना में व्यवहृत सामग्रियों के **विरूद्ध देय रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती** विपत्र से की जायेगी। काटी गई राशि जिला कोषागार में जमा की जाय। योजना के स्थल की वर्त्तमान स्थिति का फोटोग्राफी भी अभिलेख में संधारित करें।

10. योजना का प्रारम्भ सक्षम प्राधिकार से तकनीकि स्वीकृति के उपरान्त कराया जायेगा।

11. तकनीकि स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. प्रत्येक माह की 25वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजा जायेगा।

13. योजना का कार्य बरसात के बाद जॉब डिमाण्ड के आधार पर प्रारम्भ करेंगे।

14. सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्य प्रारम्भ करायेंगे एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की एक प्रति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रॉंची को भी उपलब्ध करायेंगे।

15. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अर्थात् 92.00 रूपये के आलोक में ही योजना के क्रियान्वयन में राशि का व्यय किया जायेगा।

16. योजना का कार्य निबंधित मजदूर के द्वारा कराया जायेगा। यदि कोई नया मजदूर कार्य के लिए आता है तो सर्व प्रथम उसका निबंधन कर बैंक/डाकघर में खाता खुलवाया जायेगा।

ह०/-

उपायुक्त,
राँची

ज्ञापांक 1271/ जि0ग्रा0, दिनांक 25/07/2009

प्रतिलिपिः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांके को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उपायुक्त
राँची